

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राज0 जयपुर

कार्यालय का पता - स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, डियर पार्क के पास, जयपुर

फोन नं - 0141 2924357 | Email - rajhealth-supp-rj@gov.in

क्रमांक:- RAJHEALTH/2025/TSP/61

दिनांक:- 24.03.2025

:- आदेश :-

निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा जारी संक्षिप्त विज्ञप्ति क्रमांक 4689 दिनांक 09.05.2023 एवं विस्तृत विज्ञप्ति क्रमांक 4850 दिनांक 19.05.2023 के क्रम में **महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (अनुसूचित क्षेत्र)** के पद हेतु उपलब्ध कराई गई चयन सूचियों के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 (यथा संशोधित नियमों) के अन्तर्गत **महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (अनुसूचित क्षेत्र)** के पद पर अस्थाई तौर पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्याधीन नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

इन्हें कार्यग्रहण करने की तिथि से राज्य सरकार के नवीनतम नियम/ आदेश/ परिपत्रानुसार दो वर्ष के प्रोबेशन काल में L-08 में निर्धारित नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 18500/- (अठारह हजार पाच सौ मात्र) प्रतिमाह कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। दो वर्ष का प्रोबेशन काल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर इन्हे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद का नियमित पे-मेट्रिक्स L-08 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

S.No	Application ID	Applicant Name	Applicant's Father Name	Applicant's Date of Birth	Applied Category	Selected Category	Place of Posting
1	HWT116623	LAHRI KUMARI MEGHWAL	RODI LAL	15/09/1996	SC	GEN	Pratapgarh -> Dhariawad -> Managav(PHC)
2	HWT125547	BHAVANA KUMARI PATIDAR	ISHWAR LAL PATIDAR	02/04/1990	GEN	GEN	Dungarpur -> Sagwara -> Naya Gaon(PHC)
3	HWT119251	SHWETA SHARMA	RAJESH KUMAR SHARMA	25/11/1991	GEN	GEN	Pratapgarh -> Pratapgarh -> Panmodi(PHC)
4	HWT121163	SUNDAR KUMARI NAI	TULSI RAM NAI	08/09/1985	GEN	GEN	Banswara -> Choti Sarwan -> Ghoditejpur(PHC)
5	HWT126705	TEENA LABANA	RAM NARAYAN LABANA	17/07/1999	GEN	GEN	Banswara -> Kushalgarh -> Ukala(PHC)
6	HWT120386	SANGEETA PATEL	SOMA LAL PATEL	15/06/1992	GEN	GEN	Banswara -> Talwara - > Barwala Rajia(PHC)

Signed by: Rakesh Kumar Sharma
Designation: DIRECTOR NG
Location: Jaipur
Date: 24/03/2025 17:36:59



7	HWT116535	NEELAM VYAS	RATAN LAL VYAS	10/03/1990	GEN	GEN	Pratapgarh -> Dhariawad -> Mandvi(PHC)
8	HWT123283	YASHODA KUMARI VAISHNAV	BHAGWAN DAS VAISHNAV	22/01/1984	GEN	GEN	Pratapgarh -> Dhariawad -> Nayaboriya(PHC)
9	HWT128150	MAMTA SALVI	ROOP LAL SALVI	22/08/1998	SC	GEN	Pratapgarh -> Dhariawad -> Keshriyawad(PHC)
10	HWT120762	SONAL DAMOR	NATHJI DAMOR	20/08/1991	ST	GEN	Banswara -> Kushalgarh -> Timedabada(PHC)
11	HWT125435	KALPANA AD	RAMCHANDRA AD	28/11/1995	ST	GEN	Pratapgarh -> Chhoti Sadri -> Bambori(PHC)
12	HWT127709	PRIYANKA DAMOR	SHANKER LAL DAMOR	06/02/1993	ST	GEN	Pratapgarh -> Dhariawad -> Pahada(PHC)
13	HWT119017	VIJAYLAXMI RAWAL	SOMNATH JI	26/11/1999	GEN	GEN	Dungarpur -> Ghati dungarpur(PHC)
14	HWT126314	SUMITRA KUMARI MEGHWAL	JEEVAT RAM	01/09/1996	SC	SC	Pratapgarh -> Arnod -> Achnera(PHC)
15	HWT123178	MAMTA KUMARI NINAMA	PUNJI LAL NINAMA	05/06/1991	ST	ST	Pratapgarh -> Pratapgarh -> Ambamata(PHC)
16	HWT127744	MANJULA NINAMA	RAVJI NINAMA	29/10/1993	ST	ST	Banswara -> Talwara -> Cidiyavasa(PHC)
17	HWT123913	ANITA KUMARI BHAGORA	HURJI BHAGORA	18/07/1982	ST	ST	Pratapgarh -> Dhariawad -> Devla(PHC)
18	HWT106083	ASHA KUMARI	JIVRAJ BHAGORA	13/08/1995	ST	ST	Dungarpur -> Sagwara -> Biliya Badgama(PHC)
19	HWT104284	MENKA PATIDAR	DHULJI PATIDAR	08/07/1993	GEN	GEN	Dungarpur -> Sagwara -> Samliya(PHC)
20	HWT111563	SAMINA PARVEEN	ABDUL RAJAK	12/12/1978	GEN	GEN	Banswara -> Choti Sarwan -> Jahapura(PHC)

इन्हें प्रथमतः राजहैल्थ पोर्टल पर ऑनलाइन एवं लिखित में भी संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक 15.04.2025 तक कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे ।

यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर व अन्य में विचाराधीन याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन होगी एवं विभिन्न निर्णयों के पालनार्थ वरीयता/वरिष्ठता दोनों परिवर्तनीय होंगी ।

Signed by: Rakesh Kumar Sharma
Designation: DIRECTOR NG
Location: Jaipur
Date: 24/03/2025 17:36:59



यह पदस्थापन आदेश निम्न शर्तों एवं समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों के अध्याधीन जारी किये जा रहे हैं :-

1. उक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व उल्लेखित निर्धारित शर्तों के अनुसार संबंधित नियन्त्रण अधिकारी जिनके अधीन अभ्यर्थी का पदस्थापन किया गया है, द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करवाया जायेगा।
2. नवनियुक्त अभ्यर्थियों पर राज्य सरकार के नवीनतम आदेश अनुसार पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
3. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख को उनके सैकेण्डरी के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि से सत्यापित किया जायेगा।
4. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से कार्यग्रहण के समय नियमानुसार प्राप्त किया जायेगा। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार शिथिलन देय होगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिन्ट विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थिति देने हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। सभी अभ्यर्थी प्रथमतः संबंधित नियंत्रक अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अन्य नियंत्रण अधिकारी) के समक्ष उनके कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे। तत्पश्चात् ही पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त होकर प्रस्थान करेंगे। नियंत्रण अधिकारी द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन से पूर्ण संतुष्ट होने पर इसे राजहैल्थ पोर्टल पर प्रमाणित किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा संबंधित नियंत्रण अधिकारी के समक्ष प्रथम बार उपस्थिति होने की तिथि से राज्य सेवा में कार्यग्रहण माना जाएगा।
6. सभी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करते समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति व अन्य प्रमाण पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए हैं, को मूल ही प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक सभी छाया प्रतियां स्वयं द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होंगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होगा एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होंगे।
7. राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने मूल पद से विधिवत कार्यमुक्त होकर ही नव पदस्थापन स्थान पर उपस्थित होंगे।
8. गर्भवती महिलाओं के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6 (19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। विवाहित अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगे। उक्त परिपत्र जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
10. नवनियुक्त अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पिता के नाम से जारी किया हुआ अनुसूचित क्षेत्र का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. नवचयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से धूम्रपान/नशा नहीं किया जावेगा एवं उनके द्वारा विवाह के दौरान दहेज नहीं लिया गया है/नहीं लिया जाएगा।
12. अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण करते समय राजस्थान नर्सिंग कॉसिल में वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. वरिष्ठता (सीनियोरिटी) अंतिम वरीयता सूची के अनुसार होगी।
14. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/दस्तावेज-फर्जी/परिवर्तित/कूट रचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही

Signed by: Rakesh Kumar Sharma
Designation: DIRECTOR NG
Location: Jaipur
Date: 24/03/2025 17:36:59



निरस्त माने जायेंगे। साथ ही दोषी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाये जायेंगे। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किये जायेंगे।

15. अन्य राज्यों से शैक्षणिक/व्यवसायिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अंकतालिकाओं/अन्य दस्तावेज की जांच की आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी के स्वयं के खर्च पर करवाई जायेगी।

16. यह नियुक्ति आदेश राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांक:- RAJHEALTH/2025/TSP/61

दिनांक:- 24.03.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम) मुख्यालय।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, राज0 जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वा0/प.क.) मुख्यालय।
6. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं प0क0 संस्थान, जयपुर को उनकी वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अन्य नियन्त्रण अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि-
 - किसी पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाते हुए पूर्ण वस्तुस्थिति एवं आपके अधीन रिक्त पदों की सूचना निदेशालय को [Email : dmhs.tcng@gmail.com](mailto:dmhs.tcng@gmail.com) पर तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
 - **आरक्षण का लाभ:-** जिस जाति वर्ग में आरक्षण के आधार पर चयन हुआ है, उस जाति का प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के पिता के नाम से जारी किया हुआ ही मान्य होगा। पति एवं पिता दोनों के संयुक्त नाम से जारी अथवा पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। यदि पिता के नाम से राजस्थान राज्य का जारी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो पिता के नाम से राजस्थान राज्य का जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसमें जाति का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य है।
 - नवनियुक्त अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पिता के नाम से जारी किया हुआ अनुसूचित श्रेणियों का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। गैर अनुसूचित श्रेणियों के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र की भर्तियों में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है। किन्तु यदि अभ्यर्थी विवाह के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र का निवासी हुआ है तो अनुसूचित क्षेत्र की भर्तियों हेतु आवेदन कर सकता है। किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को जातिगत आरक्षण का लाभ देय नहीं है। जातिगत आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासियों को ही देय है।

Signed by: Rakesh Kumar Sharma
Designation: DIRECTOR NG
Location: Jaipur
Date: 24/03/2025 17:36:59

- **विधवा वर्ग:-** विधवा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग प्रस्तुत करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं मृतक से अभ्यर्थी का विवाह होने संबंधित प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई प्रमाण पत्र जिससे अभ्यर्थी एवं मृतक की पत्नी होने की दस्तावेजों से पुष्टि होती हो, प्रस्तुत करे। किन्तु पति की मृत्यु तिथि अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन की तिथि से पूर्व की होनी चाहिये।
- **परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह):-** परित्यक्ता संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी को विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र अर्थात् सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की जांच के आधार पर ही उपस्थिति ली जावे, सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन की तिथि से पूर्व की होनी चाहिये। इस संवर्ग में माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री/सक्षम न्यायालय द्वारा जारी आदेश की सत्यापित प्रति के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं है।
- **विशेष योग्यजन:-** विशेषयोग्यजन श्रेणी (PH) में, जिन अभ्यर्थियों द्वारा इस वर्ग में आवेदन किया है एवं वरियतानुसार उनका चयन हुआ है, उनका मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करवाया गया है एवं इन्हें चयन सूची में दिव्यांग श्रेणी (PH) में दर्शाया गया है तथा जिन अभ्यर्थियों द्वारा विशेषयोग्यजन श्रेणी (PH) वर्ग में आवेदन नहीं किया है और चयन भी सामान्य श्रेणी में ही हुआ है, उनके ज्वाइनिंग के समय यदि अभ्यर्थी किसी भी रूप में शारिरिक विकलांगता से प्रभावित पाया जाता है तो उसकी ज्वाइनिंग न लेकर उसके संबंध में निदेशालय को अवगत करायें।
 - **योग्यता:-** अभ्यर्थी की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार होनी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक योग्यता जिस शिक्षा बोर्ड से प्राप्त की गई है यदि वह बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से मान्यता प्राप्त नहीं पाया जाये तो कार्यग्रहण नहीं करायें। राजस्थान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्डों की सूची माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि चयन सूची में दिये गये प्रासांकां से भिन्न प्रासांक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अंकतालिकाओं में पाये जायें तो कार्यग्रहण नहीं करायें। व्यावसायिक योग्यता के लिये अभ्यर्थी का आवेदन किये जाने की तिथि एवं नियुक्ति पर उपस्थिति की दिनांक को भी राजस्थान नर्सिंग कॉंसिल में पंजीयन होना आवश्यक है।
 - **आयु सीमा:-** इस संबंध में जारी विज्ञप्ति अनुसार जांच की जाये।
 - **संतान संबंधी शपथ पत्र:-** अभ्यर्थी से 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक जीवित संतान नहीं होने का शपथ पत्र लिया जावे। इस संबंध में विज्ञप्ति में उल्लेखित विवरण की पालना सुनिश्चित की जावे। शपथ पत्र में जीवित संतान की जन्म तिथि का उल्लेख होना चाहिये। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार शिथिलन देय होगा।
 - विभाग में पूर्व में भी उक्त पदों की भर्तियों की जाती रही हैं, उस समय भी ज्वाइनिंग के समय जो सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती रही है, उनका भी ध्यान रखते हुये ज्वाइनिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करायें।
 - यदि आपको अभ्यर्थी के चयन में किसी भी स्तर पर कोई संदेह उत्पन्न होता है, कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूट रचित पाये जावे तो उस संबंध में तत्काल निदेशालय को अवगत करायें।
 - चयन सूची में दिये गये डेटा एवं उपस्थिति के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में उल्लेखित जानकारी अथवा डेटा में भिन्नता पाई जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थी की उपस्थिति नहीं ली जाये एवं वस्तुस्थिति से तत्काल अवगत करायें। ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट किये जाने के पश्चात ही संबंधित अभ्यर्थी को राज्य सेवा में कार्यग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी।
 - मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाये जाये। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किये जायें।

Signed by: Rakesh Kumar Sharma
 Designation: DIRECTOR NGS
 Location: Jaipur
 Date: 24/03/2025 17:36:59



8. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को पालनार्थ।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Signed by: Rakesh Kumar Sharma
Designation: DIRECTOR NG
Location: Jaipur
Date: 24/03/2025 17:36:59

